⑨ R.M.M. Law College - Saharsa.

Manvendra Mandal part-time lecturer	Subject- pleding and drafting	Date-10-05-2020

अभिवचन का अर्थ एवं परिभाषा:-
(Meaning and Definition of pleding)

अभिवचन न्यायिक प्रक्रिया अथवा न्याय प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग है। न्यायायिक प्रक्रिया का श्रीगणेश अभिवचनों से ही होता है। यह न्याय प्रशासन को गतिशील बनाता है। अभिवचनों के माध्यम से पक्षकारों द्वारा न्यायालय के समक्ष अपना विवाद प्रस्तुत किया जाता है। अभिवचन-लेखन एक कला है। इसमें एक पक्षकार द्वारा अपना दावा (क्लेम) यानि वाद प्रस्तुत किया जाता है तो दूसरे पक्षकार कार द्वारा बचाव। वस्तुतः यही अभिवचन है।

नियमतः भारत में इंग्लैंड की भाँति एक वाद में केवल दो अभिवचन होते हैं। (1) वादी (plaintiff) की ओर से दाखिल किया गया दावे का कथन, जिसे वाद पत्र (plaint) कहा जाता है और जिसमें वादी सभी आवश्यक विवरणों सहित अपने वाद हेतु (Cause of action) का उल्लेख करता है, तथा (2) प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया बचाव या प्रतिवाद को लिखित कथन कहते हैं। इसमें प्रतिवादी वादी द्वारा वाद-पत्र में कथित प्रत्येक सारभूत तथ्य (Material facts) का उत्तर देता है, साथ ही ऐसे नये तथ्यों का भी उल्लेख करता है जो उसके पक्ष में है। उपर्युक्त दो अभिवचनों को दृष्टि में रखकर भारत के सिविल प्रोसीजर कोड (सी०पी०सी०) के आदेश 6 नियम 1 में अभिवचन की परिभाषा इस प्रकार दी गई है- "अभिवचन से वादपत्र या लिखित कथन अभिप्रेत है।" (Pleding shall mean plaint or written statment) सी० पी० सी० की उपरोक्त परिभाषा को विधिवेत्तागण व्यापक नहीं मानते। अर्थात रूप से यह कहना सही है कि "अभिवचन" या तो वाद-पत्र होता है या लिखित कथन।

Scanned with CamScanner

मद्रास उच्च न्यायालय के नियम (original side Rules) के अन्तर्गत pleading की परिभाषा इस प्रकार दी गई है "अभिवचन में वाद पत्र, लिखित कथन, याचिका, स्पेशल केस, अपील का मेमोरेण्डम तथा आपत्तियों का मेमोरेण्डम शामिल है। उपर्युक्त परिभाषा को विद्वान घोष महोदय ने अपेक्षाकृत अधिक व्यापक माना। उनके अनुसार "सभी अभिवचन लिखित कथन होते हैं।

साधारणतया अभिवचन प्रस्तुत करने का अधिकार व्यापक है और प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन दाखिल कर दिये जाने के बाद कोई भी अभिवचन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। किन्तु इसका एक अपवाद यह है कि न्यायालय के आदेश से पश्चातवर्ती अभिवचन वादी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसे "जवाबुल जवाब" (Replication) या लिखित कथन कहते हैं। और प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये जाने की दशा में उसे अतिरिक्त लिखित कथन कहते हैं।

पक्षकारों को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि अभिवचन में सिर्फ सारवान तथ्यों को ही समाविष्ट किया जाना चाहिए। यह एक आधारभूत नियम है। अगर किसी पक्षकार ने इस नियम का पालन नहीं करता है तो न्यायालय के लिए पक्षकारों के अधिकार को अभिनिश्चित करने में कठिनाई उत्पन्न होती है वहीं पक्षकारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि किसी पक्षकार ने अपने अभिवचन में सारवान तथ्यों को कथन में समाविष्ट नहीं किया है तो उसे उस तथ्य पर साक्ष्य पेश करने की अनुमति नहीं दी जायगी। जब-तक कि न्यायालय अभिवचन के संशोधन की अनुमति प्रदान न कर दे। यह भी सुनिश्चित है कि यदि किसी कारण इस प्रकार के तथ्य के सम्बन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत कर भी दिया गया है तो ऐसे साक्ष्य पर विचार नहीं किया जायगा। रामस्वरूप गुप्ता बनाम बिपुन नारायण इन्टर कॉलेज के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारण किया है,:- "एक निष्पक्ष विचारण के लिए नितान्त आवश्यक है कि प्रत्येक पक्षकार अपने अभिवचन में आवश्यक सारवान तथ्यों का वर्णन अवश्य कर दे, ताकि विरोधी पक्षकार आश्चर्य चकित होने से बच सके। शेष- अगले पृष्ठ पर

Scanned with CamScanner